राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बृजराज सिंह बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	117/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1107 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1112 रकबा 17 विस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा 6 विस्या, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा, 1187 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 16 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में स्थित है। उपरोक्त आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 1 में वर्णित है के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूतहर खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातवान काशाकार नन्द वत्य मामराज महाजन थे। रिछपालसिंह वल्द दुर्जनसालसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार कास्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन ने उपरोक्त आराजी को मौके पर घरू तौर पर बांट रखा था तथा रावतसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत व 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार नन्द वल्द मामराज महाजन ने अपने हिस्से में आई भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1106 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1107 1107 रकबा 1 बीघा 2 बिस्या, 1108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्या, 1109 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि को जरिये रजिस्ट्री विकय पत्र दिनांक 24-6-1962 भोरिया, बालिया पुत्रान प्रभाती कौम अहीर निवासी द्वारिकापुरा को बेचान कर दिया था तथा शेष आराजी में से रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह ने अपने हिस्से में आयी आराजी में से आराजी साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 17 विस्वा, 1113 रकबा 9 बिस्वा, 1114 रकबा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बृजराज सिंह बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6 बिस्वा, 1184 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1185 रकबा 9 बिस्वा, 1186 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान प्रहलाद पुत्र छोटू अहीर को कर दिया इस प्रकार शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा में रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह के हिस्से में 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि शेष बची है तथा रावतसिंह पुत्र कालमसिंह व नन्द पुत्र मामराज महाजन के हिस्से में 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष बची है। नन्द पुत्र मामराज व रावतसिंह ने अपने हिस्से में शेष बची आराजी को प्रतिवादी संख्या 8 को बेचान कर दिया था। आराजी साबिक खसरा नम्बर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1105 रकबा 6 बिस्वा, 1111 रकबा 2 बीघा, 1187 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1188 रकबा 8 बिस्वा वाके मौजा दांतिल के हाल खसरा नम्बर 2153/0.24. 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली बनें है। रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह फौत गये जिनके वारिस उनके लडके वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी उदयसिंह व मुरलीधरसिंह पुत्रान रिछपालसिंह हुये। मुरलीधर सिंह पुत्र रिछपालसिंह अविवाहित फौत हो गये जिनके वारिस वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी उदयसिंह है। रावतसिंह पुत्र कालूसिंह फौत हो गये जिनके वारिस उनके लडके बाबूदानसिंह, अमरसिंह व सुमेरसिंह पुत्रान रावतसिंह हुये। अमरसिंह फौत हो गये जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। सुमेरसिंह फौत हो गये जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 है। उपरोक्त शेष बची आराली हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09. 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी का 4/5 व रावतसिंह एंव नन्दराम महाजन का हिस्सा 1/5 रहता है तथा रावतसिंह व नन्दराम द्वारा बहादुरसिंह को बेचान किये जाने के उपरान्त उपरोक्त आराजी में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी हिस्सा 4/5 व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण उपरोक्त शेष बची आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी व उनके मुरलीधर का हिस्सा 4/5 के स्थान पर 1/2 दर्ज कर रखा है तथा बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 1/4 अंकित कर रखा है तथा रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम गलती से 1/4 हिस्से में अंकित कर रखा है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बृजराज सिंह बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकॉर्ड में राजस्व विभाग द्वारा की गई गलती की जानकारी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी को दो माह पूर्व पटवारी हल्का से स्वयं के भाई मुरलीधर का विरासत इंतकाल दर्ज करवाने गये तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने हेतु कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करतें रहे अब गत सप्ताह से साफ इंकार हो गये है इसलिए वादी को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत हाल खसरा नम्बर 2153/0.24. 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्याा 11 उदयसिंह कां 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जावे | उपरोक्त आराजी का भविष्य में शामिल खाता होने के कारण विवाद का अंदेशा बना रहेगा इसलिए आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/024. 2154/0. 56, 2226/0.09. 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि का पक्षकारान के मध्य तकास्मा किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 के हिस्से 4/5 के अनुसार बंटवारा कर उनके हिस्से में आया भूमि का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 को तन्हा रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जावे। प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व विभाग द्वारा की गयी गलती का नाजायज फायदा उठाते हुये भूमि को बेचान करने व खुर्द-बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे हैं इसलिए वादी को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में वादी व तरतीबी प्रतिवादी को हिस्सा 4/5 के अनुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा दौराने वाद किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान आदि न करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने से इंकार एंव भूमि को बेचान करने पर आमादा होने से पैदा हुआ। अनुतोष में वादी ने इस्तदुआ चाही कि एक किता डिकी बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बृजराज सिंह बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दांतिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व रावतसिंह पुत्र कालूसिंह का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 उदयसिंह को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जाये। आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24. 2154/0.56, 2226/009, 2229/0.35 वाके भौजा दांतिल तहसील कोटपूतली की भूमि का पक्षकारान के मध्य तकास्मा किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 के हिस्से 4/5 के अनुसार बंटवारा कर उनके हिस्से में आयी भूमि का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11/1 लगायत 11/4 को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द करावे कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली में वादी व तरतीबी प्रतिवादी को हिस्सा 4/5 के अनुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा दौराने वाद किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान आदि न करे, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 02 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाब प्रस्तुत कर वादी के वाद में अंकित तथ्यो को इंकार करते हुये कथन किया कि बेचानकर्ता रिछपालसिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह को मिन प्रतिवादी के हिस्से से अधिक के बैचान का कोई अधिकार प्राप्त नही था, केवल अपने हिस्से को बेचान करने का अधिकार प्राप्त था प्रत्येक खसरा नम्बर में प्रत्येक सहखातेदार का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक हिस्सा था जिसे किसी भी दूसरे सहखातेदार काश्तकार को बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, ना ही कोई सहकाश्तकार किसी दूसरे सहकाश्तकार के हिस्से की भूमि का बैचान कानूनन कर सकता है। इसलिये वादी का वाद खारीज किया जावे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गयी एवं तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 18/06/2025 पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 11/1 लगायत 11/4 को आराजी हाल खसरा नम्बर 2153/0.24, 2154/0.56, 2226/0.09, 2229/0.35 वाके मौजा दातिल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 08 व रावत सिंह पुत्र कालू सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बृजराज सिंह बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का नाम हटाया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11/1 लगायत 11/4 को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार साक्ष्य सबूतों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18/06/2025 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर